गीतांजली तकनीकी अध्ययन संस्थान, डबोक, उदयपुर

GITS/ADMIN/03/13-14-28/17 दिनाँकः– 02 फरवरी, 2017

(SC/ST/SBC/EBC*/OBC** वर्ग की पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना वर्ष 2016–17 की ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया आरम्भ

राजस्थान राज्य के मूल निवासी अध्ध्यनरत विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं जैसे : अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC), डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) डॉ. अम्बेडकर घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु एवं विमुक्त जाति (DNT's) मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना, में छात्रवृति प्राप्त करने हेतु वर्ष 2016–17 में राज्य में एवं राज्य के बाहर की मान्यता प्राप्त/संबद्वता प्राप्त/राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृति वेबपोर्टल **www.sje.rajasthan.gov.in** के Home Page पर New Scholarship Portal **(2016-2017) पर पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु पंजीकरण करने, भामाशाह कार्ड से लिंक कर** आवेदन पत्र लॉक करने एवं राज्य में अध्ययनरत विद्यार्थी के स्वीकृत योग्य आवेदन पत्र को शिक्षण संस्था द्वारा लॉक कर संबंधित जिले के स्वीकतकृर्ता अधिकारी को तथा राज्य से बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के गृह जिले के स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) को ऑनलाईन फारवर्ड करने तथा फारवर्ड किए गए छात्रों की सूची संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करने की **अन्तिम तिथि 25 फरवरी, 2017** तक बढ़ा दी गई है।

नवीन छात्रवृति पोर्टल 2016–2017 पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों (नए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए) दिशा–निर्देशः

1. अनुसुचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC), के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में **2.50 लाख रूपये** तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
2. ** अन्य पिछडा वर्ग (OBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 1.00 लाख रूपये तक वार्षिक आय सीमा वाले निम्नलिखित 17 प्राथमिकता वाले परिवारों के विद्यार्थियों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। **जैसे – बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र।**
3. * डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में **1.00 लाख रूपये**, तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
4. डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एव अर्द्वघुमन्तु (DNT's) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में **2.00 लाख रूपये** तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
5. मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना में **5.00 लाख रूपये** से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (उदाहरणः– IIT/NIT) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
6. SC/ST/SBC/EBC/OBC/ मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्याथियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाऐं तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा। जैसे – ई –मेल एड्रेस, फेसबुक अकाउन्ट, भामाशाह कार्ड नम्बर, आधार नम्बर, आय का घोषणा **(प्रपत्र द)**, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित महिला की स्थिति में विवाह प्रमाण प्रत्र, अनाथ एवं विधवा स्वयं/विधवा के पुत्र/पुत्री की स्थिति में पिता/माता/पति की मृत्यु पर संबंधित का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा महिला की स्थिति में तलाक से संबंधित दस्तावेज, 10वीं की अंकतालिका, गत अंतिम की अंकतालिका, फीस की रसीद।

क्रमशः: 2 ::

7. OBC उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाऐं तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा **जैसे** – ई–मेल एड्रेस, फेसबुक अकाउन्ट, भामाशाह कार्ड नम्बर, आधार नम्बर, आय का घोषणा **(प्रपत्र द),** मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित महिला की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, **बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र होने की स्थिति में बी.पी.एल. हेतु प्रमाण, जैसे–बी.पी.एल. राशनकार्ड/बी.पी.एल. मेडिकल कार्ड/ बी.पी.एल. सूची क्रमांक/ बी.पी.एल. सर्वे क्रमांक आदि। अन्तयोदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र होने की स्थिति में अन्त्योदय कार्ड। स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र होने की स्थिति में स्टेट बी.पी.एल. हेतु प्रमाण, जैसे – स्टेट बी.पी.एल. राशनकार्ड/स्टेट बी.पी.एल. मेडिकल कार्ड/स्टेट बी.पी.एल. सूची क्रमांक/स्टेट बी.पी.एल. सर्वे क्रमांक आदि। अनाथ बालिका/बालक होने की स्थिति में माता–पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। विधवा स्वयं, विधवा की बालिका/बालक होने की स्थिति में पति/पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र होने की स्थिति में तलाक होने का दस्तावेज। विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र होने की स्थिति में विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र।**
8. आय का घोषणा पत्र एक पृष्ठीय निर्धारित प्रपत्र – द में ही बनाकर मूल ही स्कैन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। पिता जीवित होने की स्थिति में पिता द्वारा, पिता की मृत्यु होने की स्थिति में माता द्वारा माता – पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में संरक्षक द्वारा माता–पिता एवं संरक्षक तीनों ही नहीं होनें की स्थिति में स्वयं द्वारा विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जावेगी। माता–पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय प्रमाण पत्र स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।
9. विद्यार्थियों की आधारभूत सूचनाऐं जैसेः– नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक का खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि भामाशाह पोर्टल से ली जा रही हैं। **आपके शैक्षणिक रिकोर्ड एवं भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकोर्ड के मुताबिक परिवर्तन करना चाहता है, तो भामाशाह पोर्टल में अंकित में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।**
10. विद्यार्थी की छात्रवृति राशि भामाशाह कार्ड में अंकित विद्यार्थी के बैंक खाता में हस्तांतरित होगी। भामाशाह पोर्टल में विद्यार्थी के नाम के सामने विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या नहीं होने की स्थिति में भामाशाह कार्ड में दिये गये परिवार के मुखिया के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हस्तांतरण करवाना चाहता हैं, तो विद्यार्थी को भामाशाह पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा।
11. विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक संस्थान को दी गई फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पूर्णभरण सम्भव नहीं होगा।
12. विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक स्थान/पाठ्यक्रम/अथवा अन्य का चयन किया जाता हैं। एवं इस आधार पर आवेदन स्थायी रूप से निरस्त हो जाता हैं। तो इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
13. विद्यार्थी को आक्षेप की पूर्ति के लिए भी अधिकतम **सात दिन** का समय प्रदान किया जायेगा। यदि विद्यार्थी सात दिन में आक्षेप की पूर्ति नहीं करता है तो ऐसा ऑनलाईन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

2/2/2017

(लतीफ खान)
नोडल ऑफिसर (मो. न. – 9116039815)

(प्रो. डॉ. की. न. शेठ)
डायरेक्टर

प्रतिलिपि :- सचिव, सभी विभागाध्यक्ष एवं नोटिस बोर्ड